संख्या- 1557/71-3-2010-21/2010

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2010

विषय- स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया द्वारा जारी अधिसूचना में दिए गये प्राविधानों के अनुसार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/छात्रसेल/2009/3253, दिनांक 03 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया के नोटिफिकेशन संख्या-एम0सी0आई018(1)/2009-मेड/22653, दिनांक 21-7-2009 के प्रस्तर-4(घ) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

"गैर सरकारी संस्थानों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा भरी जायेगी और शेष 50 प्रतिशत सीटें परस्पर अकादमिक मेरिट के आधार पर संस्थान के प्रबन्धन (प्रबन्धनों) द्वारा भरी जायेगी।"

2- एम0सी0आई0 की उक्त अधिसूचना दिनांक 21-7-2009 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को 'सक्षम अधिकारी' घोषित किया जाता है। कृपया एम0सी0आई0 की अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेजों में स्वीकृत स्नातकोत्तर सीटों की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

भवदीय,

1.5.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/71-3-10-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. उत्तर प्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त मेडिकल कालेजों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को एम0सी0आई0 की अधिसूचना दिनांक 21-7-2009 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कालेज में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटों का विशिष्टतावार विवरण/सूचना तीन दिन में शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(ए0के0 बरनवाल)
विशेष सचिव।